उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 16/2010–11

छत्तीस टुडू ..... आवेदक

बनाम

16/– रैयत, मौजा शिवाकोल ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

03/05/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 16/2010–11 छत्तीस टुडू बनाम् 16/– रैयत, मौजा शिवाकोल, अंचल मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के पी0एए वाद सं0 50/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा शिवाकोल, अंचल मसिलया के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी, मसलिया से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं 16/– रैयतों को नोटिस का तामिला कराया गया। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर खारिज किया गया कि मौजा पूर्व से खास है एवं राजस्व की वसूली खास तौर पर राजस्व पदाधिकारी द्वारा की जाती है। अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा शिवाकोल पूर्व से खास है किन्तु कब से खास है इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अवेदक द्वारा दाखिल गैंजर खतियान पर्चा एवं अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रतिवेदन की छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि गैंजर प्रधान भूटू टुडू थे जो आवेदक के परदादा थे। इससे स्पष्ट होता है कि मौजा प्रधानी है एवं मौजा के गैंजर प्रधान भुटू टुडू थे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया गया जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को नियमानुसार प्रधान की नियुक्ति हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।